

<p>5. अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रयुक्त अपने नियंत्रणाधीन नियमों, विनियमों, निर्देशों, निर्देशिकाओं तथा अभिलेखों की कोटियों का विज्ञापन ।</p>	<p>विभाग के मुख्य-मुख्य क्रिया-कलापों से संबंधित निम्नलिखित नियम/विनियम संलग्न किए जा रहे हैं-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. दातव्य निधि नियमावली । 2. विजय निधि नियमावली । 3. द्वितीय विश्वयुद्ध पेंशन सम्बंधी नियम/शासनादेश । 4. कल्याण कार्यकर्ता के कर्तव्य । 5. कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं से सम्बंधित शासनादेश । 6. जिला सैनिक बन्धु का गठन । 7. सेवारत सैनिकों की घरेलू समस्याओं के निस्तारण के सम्बंध में । 8. वीर चक्र ऋखला के पुरस्कार विजेताओं को दिये जाने वाली एकमुश्त नगद धनराशि एवं वार्षिक वृद्धि । 9. अशोक चक्र ऋखला के पदक में विभूषित महानुभावों को दी जाने वाली धनराशि की सीमा में बढ़ोत्तरी । 10. कार्यरत सैनिकों की निजी समस्याओं के निराकरण हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन । 11. नागरिक कार्मिक/सुरक्षा गार्ड्स एवं निजी संस्थाओं के सुरक्षा कर्मियों द्वारा सेना की वर्दी, उनके बैजेज एवं स्टार का उपयोग न किये जाने के सम्बंध में । 12. लोक शिकायत अनुभाग में सैनिकों की समस्याओं के निराकरण सम्बंधी मामलों के सम्बंध में ।
---	---